

केन्द्रीय बजट 2025–26 का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. श्रीमती सुनीता साहू

अतिथि व्याख्याता, अर्थशास्त्र मोहनलाल जैन शासकीय महा., खुर्सीपार भिलाई जिला, दुर्ग छ.ग.

भूमिका

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने तेलगु कवि और नाटककार श्री गुमजादा अप्पा राव के प्रसिद्व कथन कोई देश केवल उसकी मिटट्ी से नही है, बल्कि उस देश उसके लोगों से है, कथन को उद्वृत करते हुए वित मंत्री ने 1 फरवरी 2025–26 को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया इसमें सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य के अनुरूप वित मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्वातों का उल्लेख किया जिसमें गरीबी से मुक्ति, शत् प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुॅच, शत् प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलायें और देश को फूडबास्केट आफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान की बात कही गई।

केन्द्रीय बजट 2025–26 में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयासों को जारी रखने, समग्र विकास को सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, परिवारिक भावनाओं को बढाने और उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढाने का वादा किया गया इस बजट में प्रस्तावित विकास, उपाय गरीब, युवा अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर किया गया। बजट में भारत की विकास संभावनओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्वि के लिए कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्रीय बजट मे कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकसित भारत की यात्रा के ईंजन का नाम दिया गया। इसमें सुधार को ईधन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथ प्रदर्शक के रूप में रखा गया है।

बजट का अर्थः बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेन्च भाषा के शब्द ब्यूजे से हुई है। जिसका अर्थ है चमड़े का बैग या थैला सन् 1733 तक इस शब्द का प्रयोग इंगलैण्ड में जादू के पिटारे के रूप में किया जाता था। बजट में देश के आय एवं व्यय का वितरण आर्थिक आधार पर होता है। जिसे वित्तमंत्री लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है सन् 1803 में फ्रांस ने इस अर्थ में बजट का प्रयोग किया और बाद में विश्व के अन्य राष्ट्रो ने भी इसका इसी अर्थ में प्रयोग किया।

उद्देश्यः

1. बजट में हुए परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. नई आयकर व्यवस्था के अन्तर्गत टैक्स स्लैब में हुए बदलाव का अध्ययन करना ।
3. प्रमुख योजनाओं पर किये गए व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
4. केन्द्र सरकार की प्रमुख नीतियों में जो सुधार हुआ है उसका अध्ययन करना।

बजट की मुख्य बिन्दुः

- **व्ययः** सरकार द्वारा 2025–26 में 50,65,345 करोड़ रूपए खर्च करने का अनुमान है जो 2024–25 के संशोधित अनुमान से 7.4 प्रतिशत अधिक है। ब्याज भुगतान कुल व्यय का 25 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियॅा का 37 प्रतिशत है।
- **प्राप्तियांः** 2025–26 में प्राप्तियां (उधारियों के अतिरिक्त) 34,96,409 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जो 2024–25 के संशोधित अनुमान से लगभग 11.1 प्रतिशत अधिक है। कर राजस्व जो प्राप्तियां का प्रमुख हिस्सा है, उसके भी 2024–25 के संशोधित अनुमान से 11 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
- **जीडीपीः** सरकार ने 2025–26 में 10.1 प्रतिशत की नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है (यानी, वास्तविक विकास जमा मुद्रास्फीति)।
- **घाटाः** 2025–26 में राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5 प्रतिशत पर लक्षित है। यह 2024–25 के संशोधित अनुमान 1.9 प्रतिशत से कम है। 2025–26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर लक्षित है जो 2024–25 में जीडीपी के 4.8 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है।
- **ऋणः** केन्द्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक अपनी बकाया देनदारियों को जीडीपी के लगभग 50 प्रतिशत तक कम करना है। 2025–26 में बकाया देनदारियां जीडीपी का 56.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

नई आयकर व्यवस्था में बदलावः नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। जिसे तालिका में दिखाया गया है।

तालिका क्रमांक 1ः नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब

वर्तमान आयकर स्लैब	प्रस्तावित आयकर स्लैब	कर दर
3 लाख रूपए तक	4 लाख रूपए तक	शून्य
3 लाख रूपए से 7 लाख रूपए	4 लाख रूपए से 8 लाख रूपए	5 प्रतिशत
7 लाख रूपए से 10 लाख रूपए	8 लाख रूपए से 12 लाख रूपए	10 प्रतिशत
10 लाख रूपए से 12 लाख रूपए	12 लाख रूपए से 16 लाख रूपए	15 प्रतिशत

12 लाख रूपए से 15 लाख रूपए	16 लाख रूपए से 20 लाख रूपए	20 प्रतिशत
—	20 लाख रूपए से 24 लाख रूपए	25 प्रतिशत
15 लाख रूपए से अधिक	24 लाख रूपए से अधिक	30 प्रतिशत

स्त्रोतः केन्द्रीय बजट 2025—26

तालिका कमांक 1 में नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब में बदलाव को दिखाया गया है। जिसके अंतर्गत 12 लाख रूपये तक की वार्षिक आय पर कर योग्य आय पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी पहले यह सिर्फ 7 लाख रूपये तक की आय पर लागू था। इसमें मध्यम वर्ग के परिवार की आय एवं खपत में वृद्वि होगी।

प्रमुख योजनाओं पर व्ययः 2023—24 से 2025—26 तक प्रमुख योजनाओं पर किये गए व्यय को तालिका द्वारा दिखाया गया है।

तालिका कमांक 2: 2025–26 में योजनावार आबंटन (करोड़ रूपए)

योजना	वास्तविक 2023—24	बजटीय 2024—25	संशोधित 2024—25	बजटीय 2025—26	प्रतिशत परिवर्तन (2024—25 से संशोधित 2025—26 बजटीय)
मनरेगा	89,154	86,000	86,000	86,000	0.0 प्रतिशत
जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	69,992	70,163	22,694	67,000	195.2 प्रतिशत
पीएम—किसान	61,441	60,000	63,500	63,500	0.0 प्रतिशत
प्रधानमंत्री आवास योजना —ग्रामीण	21,770	54,500	32,426	54,832	69.1 प्रतिशत
शिक्षा	32,830	37,500	37,010	41,250	11.5 प्रतिशत
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	33,043	36,000	36,000	37,227	3.4 प्रतिशत
प्रधानमंत्री आवास योजना —शाहरी	21,684	30,171	15,170	23,294	53.6 प्रतिशत
संशोधित ब्याज सहायता योजना	14,252	22,600	22,600	22,600	0.0 प्रतिशत
सक्षम आगंनबाडी और पोषण 2.0	21,810	21,200	20,071	21,960	9.4 प्रतिशत
नई रोजगार सृजन योजना	—	10,000	6,799	20,000	194.1 प्रतिशत
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना	—	62,50	11,100	20,000	80.2 प्रतिशत
राष्ट्रीय आजीविका मिशन—आजीविका	13,934	15,047	15,047	19,005	26.3 प्रतिशत
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	15,380	19,000	14,500	19,000	31.0 प्रतिशत

स्त्रोतः व्यय प्रोफाइल, केन्द्रीय बजट 2025—26 पीआरएस।

- तालिका कमांक 2 से स्पष्ट है कि, मनरेगा का आबंटन 2025—26 में सबसे अधिक, 86,000 करोड़ रूपए है। यह राशि 2024—25 के संशोधित अनुमान के समान है। पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ रूपए का आबंटन भी अपरिवर्तित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण और शहरी घटकों को मिलाकर 2025—26 में 78,126 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है। जो 2024—25 के संशोधित अनुमान से 64 प्रतिशत अधिक है। 2024—25 में इस योजना पर बजट अनुमान की तुलना में 44 प्रतिशत कम खर्च होने की उम्मीद है।

जल जीवन मिशन के लिए 2025—26 में 67,000 करोड़ रूपए का आबंटन है। 2024—25 में 22,694 करोड़ रूपए का संशोधित अनुमान बजट अनुमान (70,163 करोड़ रूपए) से काफी कम है।

सरकार की प्रमुख नीतियो में सुधारः

- **वित्त एवं अर्थव्यवस्थाः** बीमा क्षेत्र में उन कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी जाएगी जो अपना पूरा भारत में निवेश करती है।
- **गैर वित्तीय क्षेत्रः** नियमों में सुधार के लिए एक उच्च्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा ताकि गैर वित्तीय क्षेत्र के सभी नियमों, प्रमाणपत्रों, लाईसेंस और अनुमतियों की समीक्षा की जा सके। समिति एक वर्ष के भीतर अपने सुझाव देगी। वर्तमान वित्तीय नियमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के तहत एक नियम स्थापित किया जाएगा। यह वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपरेखा भी

तैयार करेगा। 2025 में राज्यों का एक निवेश मित्रता सूचकांक चालू किया जाएगा। कई कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 पेश किया जाएगा।

- **उद्योग एवं वाणिज्य :** क्रेडिट की सुविधा बढ़ाने के लिए क्रेडिट गांरटी को बढ़ाया जाएगा– 1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पांच करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये, 2. स्टार्ट–अप्स के लिए 10 करोड़ रूपये से 20 करोड़ रूपए और 3. निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रूपए तक। एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा कम से कम दोगुनी की जाएगी। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए योजना के पहले वर्ष के भीतर 5 लाख रूपए की क्रेडिट सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
- **आधारभूत संरचनाः** आधारभूत संरचना से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय परियोजनाओं की तीन वर्ष की पाइपलाइन तैयार करेगा जिसे सार्वजनिक–निजी भागीदारी में कार्यान्वित किया जाएगा। 2025–30 के लिए दूसरी परिसंपति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी। भूमि रिकॉर्ड और शहरी नियोजन को आधुनिक बनाने के लिए विशेष राष्ट्रीय जियो मिशन शुरू किया जाएगा। इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे फिर से स्थापित किया जाएगा। अगले 10 वर्षो में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी में सुधार और चार करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। 25,000 करोड़ रूपए के कोष के साथ एक समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा जिसमें सरकार का 49 प्रतिशत योगदान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **ऊर्जाः** बिजली वितरण सुधारों और अंतर–राज्य ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने के आधार पर राज्यों को जीएसडीपी का 0.5 अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा एक्ट और परमाणु ऊर्जा क्षति के लिए नागरिक दायित्व एक्ट में संशोधन किया जाएगा। 20,000 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा।
- **शहरी एवं ग्रामीण विकासः** शहरों के विकास की परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक लाख करोड़ रूपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा। स्ट्रैस्ड प्रॉजेक्ट्स में एक लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रूपए की योजना शुरू की जाएगी।
- **कृषिः** केन्द्र सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी। केंद्रीय एजेंसिया अगले चार वर्षो मे किसानों से तीन दाले खरीदेंगी, जितना वे पेशकश करेंगे। इसके अलावा अधिक उपज वाली बीजों की उपलब्धता और कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 100 से कम उत्पादकता वाले जिलों में उत्पादकता और फसल विविधीकरण में सुधार के लिए प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा तीन लाख रूपए से बढ़ाकर पांच लाख रूपए की जाएगी।
- **श्रम एवं रोजगार :** रेहडी–पटरी वाले दुकानदारों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा ताकि 30,000 रूपए की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड, बैंक ऋण में वृद्धि और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान की जा सके। आयुष्मान भारत के तहत गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्रदान की जाएगी। पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पहली बार उद्योग स्थापित करने के लिए दो करोड़ रूपए तक ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शूरू की जाएगी। आय में सुधार करने के लिए शहरी श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु एक और योजना लागू की जाएगी।
- **शिक्षाः** अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले पांच वर्षो में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। 2014 के बाद शुरू हुए पांच आईआईटी में 6,500 से अधिक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सुविधा हेतु अतिरिक्त आधारभूत संरचना तैयार किया जाएगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत आईआईटी और गैर आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएगी।

निष्कर्षः उपर्युक्त अध्ययन के विश्लेषण से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, 2025–26 के केन्द्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर सभी क्षेत्रों का विकास का लक्ष्य रखा गया है जिसे सभी क्षेत्रों के विकास के गति को बढ़ावा मिल सकें। आयकर में भी बदलाव किया गया है जिसे निम्न, मध्यम आय वर्ग को कर से राहत मिलेगी। विकास की गति में किसी प्रकार कठिनाई उत्पन्न न हो उसके लिए सरकार ने पुराने नियमों में सुधार कर नये नियम भी बनाये गये है।

संदर्भ ग्रंथः

1. सिघई डॉ. जी.सी,मिश्रा जे.पी. (2004) – ''अर्थशास्त्र'' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा पेज नं. 296
2. केन्द्रीय बजट 2024–25 विश्लेषण।
3. केन्द्रीय बजट 2025–26 विश्लेषण।
4. https://www.drishtiias.com
5. https://www.orfonline.com
6. https://msme.gov.in
7. https://pib.gov.in